उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–।।
4 सुभाष मार्ग, देहरादून – 248001 टेलीफोन/फैक्सः 0135–2713810

पत्रांकः 3666 /X-2-13-19(6)2013 दिनांक 02/09/2013

ज्ञाप

शहरी क्षेत्रों में बंदर–मानव संघर्ष निवारण हेतु मानक कार्य प्रकिया
(Standard Operating Procedures for mitigation of Human-monkey conflicts in urban areas)

शहरी क्षेत्रों में बंदरों का मानव के साथ सहवास (coexistence) कई बार संघर्ष का रूप धारण कर लेता है जिससे एक तरफ बंदरों के आक्रमण से मानव शरीर व संपत्ति का नुकसान होता है तथा दूसरी तरफ बंदरों का भी शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न होता है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूचि 2 भाग 1 के क्रमांक 17ए पर लाल बंदर सूचीबद्व है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 11(1) (बी) में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अधिकार है कि वह अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिये या सम्पति के लिये खतरनाक हो गया है ऐसे चिन्हित वन्य जीव या वन्यजीवों के समूह का आखेट करने का निर्देश दे सकते हैं जो मानव जीवन हेतु घातक हो चुका हो अथवा इस सीमा तक अपंग या रूग्ण हो चुका हो जिसका उपचार सम्भव न हों। अतः बन्दर समस्या के त्वरित निराकरण हेतु मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अपने आदेश सं0 476 / 6–6 शिविर, देहरादून दिनांक अगस्त 27 2009 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 11(1) (बी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधायन धारा 5(2) के अधीन करते हुये चिन्हित स्थलों व चिन्हित बन्दर/समूह को आखेट करने का अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी स्तर को प्रदत्त किया गया है। (आदेश संलग्नक 1 में दिया गया है)

अतः इस आदेश के कम में शहरी क्षेत्रों में मानव–बंदर संघर्ष की घटना होने पर समयबद्ध तथा उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रकार मानक कार्य प्रकिया (Standard Operating Procedures) निर्धारित किये जाते है:

1. प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बंदरों के आतंक की घटनाओं की सूचना प्राप्त करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे तथा एक हेल्पलाईन नंबर का विज्ञापन किया जाएगा जिस पर नगरवासी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएँ समय से सूचित कर सके। यह कार्यवाही **एक माह के अंदर** पूर्ण किया जाए।
2. प्रत्येक शहरीय क्षेत्र हेतु संबंधित मुख्य नगर अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी द्वारा बंदर पकड़ने में दक्षता रखने वाली व्यक्तियों का चयन करके एक बंदर रेस्क्यू (rescue) दल तैयार किया जाएगा।
3. इस दल में वन विभाग के एक प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायों के एक प्रतिनिधि भी नामित किया जाएगा। इस दल का पंजीकरण हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को इस दल के गठन की सूचना प्रेषित की जाएगी।